12

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 32 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री शमसुल हक
ग्राम- पीरूडीह, पो०- मुड़भंगा
प्र० + जिला - दुमका

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–32/2023

परिवादी श्री शमसुल हक, ग्राम–चीरूडीह, पो0–मुड़भंगा, प्रखण्ड+जिला–दुमका का अपील आवेदन दिनांक–24.06.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ।

परिवादी द्वारा उनके पूर्व के शिकायत सं0–WA/299/23 दिनांक–24.04.2023 के मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए आयोग के समक्ष अपील से संबंधित परिवाद पत्र समर्पित किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र में राशन कार्ड सं0–202003390097 में कार्ड की मुखिया श्रीमती खुतेजा बीबी का नाम काट दिये जाने एवं मुखिया का नाम बदलकर शमसुल हक कर दिये जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी कि इस हेतु उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–20.07.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–20.07.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

12.7.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx120

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–32 / 2023	
20.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शमसुल हक, ग्राम–चीरूडीह, पो0–मुड़भंगा, प्र0+जिला–दुमका Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका ने आयोग को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया है कि श्रावणी मेला में ड्यूटी लगाये जाने के कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को निर्देश देता है कि यदि वे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने कार्यालय को यह निदेश दें कि अपीलकर्ता ने जो शिकायत दर्ज कराया है, इससे सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजें। इस निर्देश के साथ आयोग वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 20.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx88	